RECENT EDUCATIONAL & PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
RESEARCH
Vol. : 7, Issue : 2 & 3
Jul. - Dec. (2018), Joint Edition, Pages : 51 - 54
ISSN 2278 – 5949
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Research Journal

अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु शैक्षणिक सुविधाएँ

दिनेश कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड

Received : 19/11/2018 *1st BPR* : 22/11/2018 *2nd BPR* : 30/11/2018 *Accepted* : 10/12/2018

ABSTRACT

संविधान के अनुच्छेद 46 में समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर शैक्षणिक एवं आर्थिक लाभ पहुंचाने के दिशा–निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं। शिक्षा राज्य एवं केन्द्र दोनों का ही विषय क्षेत्र है तथा शिक्षा के प्रसार का मूल दायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया है। केंद्र सरकार उच्च शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं के समन्वयन तथा अनुसूचित जाति/जनजातियों को मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति दिलवाना, बालक एवं बालिका छात्रावासों की स्थापना करवाना और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग केंद्र का प्रबंध करवाना होता है। कल्याण मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षा मंत्रालय भी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की शिक्षा के विकास के लिए उत्तरदायी है।

प्रस्तावना

केन्द्र सरकार के संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति हेतु 15 प्रतिशत व जनजाति हेतु 7 प्रतिशत सीटों का आरक्षण है। इसमें नामांकन के लिए आरक्षण के अलावा न्यूनतम क्वालिफाइड अंकों में भी छूट देने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षण नीति के समुचित कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित 129 विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की है। यह सभी विश्वविद्यालयों में बनाया जाना आवश्यक है।

उच्च स्तर पर शैक्षिक सुविधाएं

- विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता और भाषागत कुशलता तथा उनकी कुशाग्रता बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाती है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) व्याख्याता के रूप में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर स्तर के अंकों में पांच प्रतिशत की छूट देता है। आयोग ने नेट परीक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के भाग लेने के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 50 कर दिया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रावृत्यिाँ, शोध सहायक और फैलोशिप प्रदान करता है। आयोग समाज विज्ञान के साथ–साथ विज्ञान और मानविकी में अनुसूचित जाति/जनजाति के उन उम्मीदवारों को जूनियर फेलोशिप देता है, यू0जी0सी0 की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में सफल होने वाले छात्रों को प्रदान करता है। लेकिन योग्यता होने बाद भी अनुसूचित जाति/जनजाति के पदों को उपयुक्त पात्रता नहीं (एन0एफ0एस0) होने का बहाना कर सीटें खाली रख दी जाती हैं और यह प्रत्येक विभाग में निरन्तर चलता रहता है। योग्य होने पर ही इस वर्ग के छात्रों की नियुक्ति नहीं की जाती है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा पास करने के लिए अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक योजना है, जिसमें इसकी प्रवेश परीक्षा में विफल रहने वाले विद्यार्थियों को आई0आई0टी0 द्वारा संचालित तैयारी पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता हैं इन तैयारी पाठ्यक्रमों के अंत में उन छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, जो इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं।
- आई0आई0टी0 में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों का शिक्षण शुल्क माफ किया जाता है और पुस्तक बैंक की सुविधा के साथ–साथ छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

- सेवाओं में 15 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए तथा साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण जनजाति के सदस्यों के लिए रखा है। इस आरक्षण को सैनिक सेवाओं तथा न्यायिक सेवाओं–उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नहीं किया गया है। इन सेवाओं में भी आरक्षण किया जाना आवश्यक है साथ ही प्राईवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिया जाना आवश्यक है।

आरक्षण के संबंध में सीधी भरती व पदोन्नति आदि में कुछ मुख्य छूट

1. आयु में छूट :– अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबन्धित अभ्यार्थियों को लोक सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्षों की वृद्धि की गई है।
2. शुल्क में छुटः– अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यार्थियों के मामलों में सरकारी नौकरी अथवा पद के चयन के लिए किसी भी परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क घटाकर एक चौथाई कर दी गई है।
3. साक्षात्कारों के लिए यात्रा भत्ताः– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को तृतीय वर्ग व चतुर्थ वर्ग के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर, जिसकी भरती विभागीय स्तर पर की जाती है, उनके निवास स्थान से साक्षात्कार स्थल तक जाने व आने के लिए रेल भाड़ा दिए जाने का प्रावधान है।
4. पुष्टि में आरक्षणः– सीधी भरती द्वारा भरे गए सभी पदों के स्तर पर भी आरक्षण लागू होता है।
5. वर्क चार्ज स्थापना/दैनिक भोगी स्टाफ में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण :– इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का सिद्धांत, बाढ़ सहायता कार्य, दुर्घटना एवं पुनर्स्थापना एवं सहायता आदि जैसी आपातकालीन सेवा के लिए बुलाए गए स्टाफ को छोड़ वर्क चार्ज स्टाफ पर भी सामान्यतः लागू होता है।
6. स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व : जनवरी, 1978 में निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में यदि 'प्रतिनियुक्ति' के आधार पर किए जाने वाली नियुक्तियों की संख्या काफी अधिक है तो नियोक्ता अधिकारी को यह देखना होगा कि इस प्रकार के पदों का उचित अनुपात अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कर्मचारियों द्वारा भरा गया है।

आरक्षित पदों की भरती के लिए मानदण्डों में छुट तथा लिए गए अन्य कदम

1. उपयुक्तता के मानकों में छूट :– ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सीधी भरती के मामलों में, चाहे वह परीक्षा के माध्यम से हो अथवा अन्य किसी माध्यम से, आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्ड के आधार पर यदि पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशी उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके लिए सुरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों में उपलब्ध प्रतिभावना प्रत्याशियों का ही चयन किया जा सकता है।
2. अनुभव योग्यता में छूट :– कार्यालय ज्ञापन दिनांक 4 सितम्बर 1975 के तहत निर्देश जारी किए गए हैं कि संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम अधिकारी अपने विवेक के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों के मामले में अनुभव' संबंधी अहर्ता में छूट दे सकते हैं, यदि संघ लोक सेवा आयोग अथवा सक्षम अधिकारी चयन की किसी भी अवस्था में ऐसा सोचते हैं कि वांछित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के पर्याप्त संख्या में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
3. आरक्षित रिक्तियों के लिए मांग :– कुल अधिसुचित रिक्तियों में से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पदों की संख्या के बारे में संघ लोक सेवा आयोग अथवा रोजगार कार्यालय को भेजी गई मांग में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि संबंधित भर्ती अधिकारी द्वारा अपनी मांग में यह भी प्रमाणित करना आवश्यक है कि इसमें दर्शाई गई अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या इन समुदायों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण कोटे के तहत है।
4. आरक्षित रिक्तियों के विज्ञापन के लिए प्रक्रिया :– अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विज्ञापन की प्रक्रिया को जुलाई 1970 से संशोधित किया गया हे। आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रकाशित विज्ञापन में अब केवल अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों से ही आवेदन पत्र मंगाए जाते हैं।
5. आकाशवाणी द्वारा आरक्षित रिक्तियों की घोषणाः– निदेशक द्वारा राज्य सरकार व हरिजन समाज कल्याण विभाग को अधिसूचना देना व समूह 'ग' तथा समूह 'घ' (तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी) पदों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बारे में रोजगार कार्यालय को अधिसूचना अथवा समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के साथ ही साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बाहुल्य वाले क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी के केन्द्रों से

भी घोषणा की जानी चाहिए तथा साथ ही निदेशक, समाज कल्याण तथा संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के प्रभारी, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति को भी अधिसूचित किया जाना चाहिए।

6. अनसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों के लिए अलग से साक्षात्कारः– साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती अथवा लिखित परीक्षा के साथ ही साक्षात्कार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए किसी अलग दिन अथवा चयन समिति की पृथक बैठक में बुलाया जाता है।
7. आरक्षणों को आगे ले जाना तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच आरक्षण को आपस में बदलना :– यदि आरक्षित रिक्तियों के प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो आरक्षित रिक्तियों को परवर्ती भर्ती वर्षों के लिए आगे ले जाना चाहिए। मार्च 1970 में आरक्षणों को आगे ले जाने की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। इस अवधि की समाप्ति पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का उपयोग अनुसूचित जातियों और विलोमत : के लिए किया जा सकता है।
8. किसी एक भर्ती वर्ष में उत्पन्न एकमात्र रिक्ति का आरक्षण और उसे आगे ले जाना :– आरक्षण कुल मिलाकर इस शर्त पर होगा कि किसी एक वर्ष में आगे ले जायी गयी संख्या को मिलाकर आरक्षित रिक्तियों की संख्या, उस वर्ष भरे गऐ कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
9. गैर–तकनीकों एवं अर्ध–तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के मानदण्डों में अतिरिक्त छूट : सितम्बर, 1968 में निर्देश जारी किए गए हैं कि लिखित परीक्षा के अलावा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले गैर–तकनीकी एवं अर्ध–तकनीकी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं/पदों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए यदि रियायती मानदण्डों पर भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की उपलब्धता आवश्यक संख्या में नहीं हो पाती तो उपलब्ध अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों में से ही उत्तम प्रत्याशी का चयन किया जा सकता है, जो इस प्रकार की सेवा/पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखता है।
10. वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद :– सन् 1975 से पूर्व ऐसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद जिनका संबन्ध शोध, संगठनात्मक, मार्गदर्शक तथा निर्देशात्मक शोध से होता है। इनमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं था, परंतु सन् 1975 में यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण वैज्ञानिक एवं तकनीकी सेवाओं में भी प्रथम वर्ग के निचले ग्रेड तक की नियुक्तियों में भी लागू होगा।

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अन्य रियायतें

1. प्रथम श्रेणी के पदों में चयन द्वारा पदोन्नति– पूर्व संशोधित वेतनमान में मूल वेतन 2000 रूपये प्रतिमाह अथवा कम वाले पदों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकारियों के नाम, जो रिक्तियों की संख्या के अंतर्गत विचारार्थ परिक्षेत्र में काफी वरिष्ठ श्रेणी में आते हैं तथा जिनके लिए चयन सूची बनायी जानी है, चयन सूची में शामिल किए जाने चाहिए।
2. विभागीय परीक्षा में मानदण्डों में शिथिलता :– दिसम्बर, 1970 में जारी किए गए निर्देशानुसार विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से दी गई पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के ऐसे प्रत्याशी जो परीक्षा में आवश्यक सामान्य अर्हता मानदण्ड नहीं प्राप्त कर पाये, को भी आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति के लिए योग्य घोषित किए जायें। पदोन्नति के लिए विभागीय अर्हता परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों के मामले में अर्हता मानदण्ड में छूट देने के लिए भी उसी प्रकार का प्रावधान किया गया है।
3. पदोन्नति पदों में आयु की छूट– अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम् आयु सीमा में 5 वर्ष की शिथिलता की छूट, जो कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए स्वीकार्य था, अब पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए भी कर दिया गया है।
4. पदोन्नति में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिस्थापना के विरूद्ध सुरक्षाः– अनुसूचित जनजातियों के वर्ग के अधिकारियों को उनकी योग्यता एवं उपलब्धता होने के बावजूद आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति से नकारे जाने से बचाने के उद्देश्य से निर्देश किए गए हैं इनके प्रकरणों को मंत्रियों/उपमंत्रियों/राज्य मंत्रियों/विभाग प्रमुखों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के अनारक्षित रिक्तियों पर भी प्रतिस्थापन के मामले भी संबंधित मंत्रियों को रिपोर्ट किए जाने चाहिए।

प्रक्रियात्मक सुरक्षाएं

1. आरक्षण के लिए आदर्श रोस्टर :– अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों के लिए आरक्षणों को प्रभावी बनाने के लिए आरक्षणों के लिए 100 बिन्दुओं वाले आदर्श (माडल) रोस्टर निर्धारित किए गए हैं। नियोक्ता अधिकारियों को रोस्टर के

RESEARCH
RECENT EDUCATIONAL & PSYCHOLOGICAL RESEARCHES
Issue : 2 & 3, Vol. : 7, Jul.-Dec. (2018), Joint Edition, Pages : 51 - 54, ISSN 2278 – 5949
दिनेश कुमार
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Research Journal

अनुसार ही रिक्तियों को आरक्षित अथवा अनारक्षित सुनिश्चित करना है।

2. वार्षिक विवरणः– नियोक्ता अधिकारियों को भर्ती किए गए विवरणों, जैसे भरे गए रिक्तियों की संख्या तथा प्रशासनिक मंत्रालयों में भर्ती किए गए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा।
3. संपर्क अधिकारी तथा विशेष प्रकोष्ठ (सेल):– अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से उपयुक्त प्रत्याशियों की अनुपलब्धता के कारण स्थायी एवं दीर्घकालीन अस्थायी नियुक्तियों की अनुपलब्धता के कारण स्थायी एवं दीर्घकालीन अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल आरक्षित पद को जब कभी अनारक्षित करने की आवश्यकता होती है, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए नियोक्ता अधिकारियों को कार्मिक विभाग से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को पदोन्नति में आरक्षित पदों को अनारक्षित करने की शक्ति प्रदान की गयी है–
   क– फीडर संवर्ग (कैडर) में योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी की अनुपलब्धता।
   ख– प्रत्येक प्रस्ताव की एक प्रति अनुसूचित जाति/जनजाति आयुक्त तथा कार्मिक विभाग को भेजा जाना।
   ग– प्रस्ताव पर मंत्रालय के संपर्क अधिकारी की सहमति होनी चाहिए।
   घ– आरक्षित पद को अनारक्षित में परिवर्तन करने हेतु भारत सरकार के कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर पर मंजूरी लिया जाना चाहिए।
   ड़– संपर्क अधिकारी एवं नियोक्ता अधिकारी के बीच असहमति होने की स्थिति में कार्मिक विभाग से सलाह लिया जाना चाहिये।

संस्थागत सुरक्षा

1. उच्च स्तरीय समिति :– सन् 1968 से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक स्तरीय समिति अस्तित्व में है। यह समिति भारत सरकार, संघ शासित क्षेत्रों में अथवा इसके तहत् और भारत सरकार के नियंत्रण के तहत् सरकारी उपक्रमों में सेवाओं/पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भरती के मामले की स्थिति की समीक्षा करती है तथा आवश्यक नीति निर्देश जारी करती है।
2. अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिये आयुक्त– संविधान के अनुच्छेद 338 के प्रावधानों के अनुपालन में एक आयुक्त (कमिश्नर) की नियुक्ति की गयी है। आयुक्त केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नितयों आदि संबंधित दस्तावेज/जानकारी मगा सकते है।
3. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये संसदीय समिति– उपर्युक्त सरकारी निकायों के अलावा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये एक संसदीय समिति भी है। समिति अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न मंत्रालयों तथा अन्य सरकारी संगठनों के तहत सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी स्थिति का परीक्षण करती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- मदुलाल, कुसुम0 (2006) दलित शिक्षा का परिदृश्य. दिल्ली, कल्पज पब्लिकेशन.
- बक्शी, एन0एस0 (2007) मानव अधिकार शिक्षा. दिल्ली, प्रेरणा प्रकाशन.
- शर्मा, रामशरण0 (2009) शूद्रो का प्राचीन इतिहास. इलाहाबाद, राजकमल प्रकाशन, पेज 16–20
- त्रिपाठी,मधुसूदन. (2009) शिक्षा अनुसंधान और सांख्यिकी. नई दिल्ली, ओमेगा पब्लिकेशन, पेज 107, 108
- बसु, दुर्गादास. (2009) भारत का संविधान. नई दिल्ली, लेक्सिस नेक्सिस पब्लिशिंग. कैनाट पैलेश.
- सिंह, संजय0 (2010) दलित और शिक्षा. नई दिल्ली, आयोग पब्लिकेशन्स. दरियागंज, पब्लिकेशन्स.
- अग्रवाल,एच.ओ. (2010) हयूमन राईट. इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स.
- शास्त्री,शकरानंद. (2011) डॉ भीमराव आम्बेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएँ. नई दिल्ली, सम्यक प्रकाशन. पेज 21–25
- शास्त्री,शकरानंद. (2011) पूना पैक्ट बनाम गाँधी. नई दिल्ली, सम्यक प्रकाशन, पेज 15
- पाण्डेय,जय.नारायण (2011) भारत का संविधान. इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स. पेज 349–385
- गर्ग, अजय.कुमार. (2012) रिजर्वेशन एंड कंशेसन. नई दिल्ली, नेभी प्रकाशन.
- मिश्रा.आर.एन. (2015) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम